

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा / माध्य / मा—स / 22492 / प्रवेशोत्सव / 2017—18 / 76

दिनांक: 02.05.17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक — प्रथम / द्वितीय

विषय :- प्रवेशोत्सव : 2017—18 कार्यक्रम के आयोजन की प्रभावी मोनिटरिंग एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु क्षेत्र परिभ्रमण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक: 15.03.2017 एवं 21.03.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा आपको क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय विद्यालयों में दो चरणों में "प्रवेशोत्सव—2017" के आयोजन व नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कार्य योजना : 2017—18 के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये हैं। शासन द्वारा राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष : 2017—18 हेतु समस्त राजकीय माध्यमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु कक्षा समूहवार पुनः निर्धारित नामांकन लक्ष्यों के अर्जन की सुनिश्चतता हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु वर्ष : 2017—18 हेतु कक्षा समूहवार नवीन निर्धारित नामांकन लक्ष्यों के सम्बन्ध में विद्यालयवार विवरण समसंख्यक पत्र दिनांक: 08.3.2017 द्वारा आपको पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है, जो कि विभागीय वेब—साईट पर भी उपलब्ध है। उक्तानुसार वर्ष : 2017—18 में माध्यमिक शिक्षा विभाग को वर्ष : 2016—17 के नामांकन : 43,34,478 के विरुद्ध 53,22,354 का नामांकन लक्ष्य (22.8% की वार्षिक वृद्धि) प्रदान किया गया है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उक्त चुनौतीपूर्ण कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन आपके द्वारा अधीनस्थ संस्था प्रधानों, विद्यालयी स्टाफ, स्थानीय जनसमुदाय एवं जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकों, स्थानीय मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय भामाशाहों के सहयोग एवं समन्वित प्रयासों से किया जाना है।

उक्त क्रम में प्रवेशोत्सव—2017 (प्रथम चरण दिनांक: 26.04.2017 से 09.05.2017 तक आयोज्य) हेतु निदेशालय स्तर से प्रभावी मोनिटरिंग एवं सम्बलन हेतु संलग्न सूची के अनुसार जिला पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उक्त समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी सम्बन्धित जिले में जिला शिक्षा अधिकारी एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के परियोजना समन्वयक कार्यालयों से समुचित समन्वय स्थापित कर दिनांक: 04.05.17 से 06.05.17 के दौरान क्षेत्र परिभ्रमण एवं बैठकों द्वारा संस्था प्रधानों, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं स्थानीय जनसमुदाय के साथ पास्परिक सम्वाद कायम करते हुए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। जिला एवं विद्यालय स्तर पर नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों के निराकरण हेतु जिला/मण्डल कार्यालय को सम्बलन प्रदान करते हुए परिभ्रमण पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसकी प्रति उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा को प्रेषित करेंगे।

(1)बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि राज्य में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली कुल छात्राओं में से आधी से भी कम संख्या में छात्राएं कक्षा बारहवीं तक स्कूली अध्ययन को निरन्तर रख पाती हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन तथा कक्षा बारहवीं तक समस्त छात्राओं हेतु शिक्षण उपलब्धता की सहज सुनिश्चितता के निर्देशानुरूप क्षेत्र परिभ्रमण के कार्यक्रम में सह—शिक्षा विद्यालयों के साथ—साथ बालिका विद्यालयों के अवलोकन/निरीक्षण कार्यक्रमों को भी सम्मिलित करते हुए संस्था प्रधानों/शिक्षकों/अभिभावकों/छात्राओं को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन से सम्बन्धित विशिष्ट सरकारी योजनाओं की विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी देते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र की समस्त बालिकाओं के न्यूनतम बारहवीं कक्षा तक निर्बाध एवं निरन्तर शिक्षण व्यवस्था हेतु राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रेरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इन विशिष्ट योजनाओं में निम्नांकित योजनाओं की प्रभावी जानकारी छात्राओं एवं उनके अभिभावकों में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के प्रति निश्चय ही आकर्षण उत्पन्न करने में सकारात्मक सहयोग प्रदान करेगी :-

- i. कक्षा—9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना।
- ii. पांच किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली छात्राओं हेतु "ट्रांसपोर्ट वाउचर" योजना।
- iii. "मुख्यमंत्री हमारी बेटियां" योजना
- iv. "इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार" योजना।
- v. "गार्गी" तथा "बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार" योजना।
- vi. कक्षा—12 उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्नातक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं हेतु स्कूटी योजना।

vii. नियमित शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रही बालिकाओं को नियमित शिक्षा से जोड़ने हेतु केजीबीवी तथा शारदे बालिका छात्रावासों द्वारा प्रदत्त निःशुल्क आवासीय शिक्षण व्यवस्था।

(2) समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी गण के क्षेत्र परिभ्रमण की समूचित व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) द्वारा की जाएगी। उक्त भ्रमण कार्यक्रम हेतु RMSA कार्यालय में उपलब्ध वाहन का उपयोग किया जा सकता है। अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के अभाव में किराए की टैक्सी की व्यवस्था की जावे, जिसका भुगतान कार्यालय मद से किया जा सकेगा। निदेशालय द्वारा मांग के आधार पर बजट आवंटन किया जाएगा। जिन जिलों में दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय है, वे पारस्परिक समन्वय से पर्यवेक्षण अधिकारी के क्षेत्र परिभ्रमण का समन्वित कार्यक्रम संयोजित करेंगे।

(3) भ्रमण कार्यक्रम के दौरान निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शैक्षिक सत्र : 2017-18 में SIQE कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं का अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दक्ष प्रशिक्षकों (M.T.) के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन समस्त जिलों में दिनांक : 01 से 06 मई के मध्य SIERT, उदयपुर के निर्देशानुरूप सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उक्त आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का अवलोकन करेंगे तथा शिविर सम्भागियों व संदर्भ व्यक्तियों के साथ पारस्परिक सम्वाद तथा अन्तःक्रिया द्वारा प्रशिक्षण शिविरों की गुणवत्ता, शिविर में प्रतिभागियों का उपस्थिति प्रतिशत तथा आवासीय शिविरों की व्यावहारिक स्थिति एवं उनकी उपादेयता के सम्बन्ध में भ्रमण कार्यक्रम पश्चात् सौंपे जाने वाले प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(4) निदेशालय स्तर से नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के दौरान वे प्रारम्भिक शिक्षा के प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनें। ऐसी बस्तियों-गाँवों में प्राथमिकता से जाएं, जहां से बालक-बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन/ठहराव न्यून हों। भ्रमण क्षेत्र विद्यालयों की चार दीवारी तक समित न रखें, आम लोगों/स्थानीय जनसमुदाय/जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों आदि से मिलें, स्थानीय विद्यालयों के शैक्षणिक/भौतिक विकास एवं उनके बालक-बालिकाओं के शैक्षिक हितों के सम्बर्धन/संरक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चित उपलब्धता बाबत खुलकर चर्चा एवं विमर्श करें। परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान रात्रि विश्राम प्राथमिकता से ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों/गुवाड़ों में स्थानीय लोगो तथा क्षेत्र के मौजिज व्यक्तियों के साथ सम्वाद-सम्पर्क करते हुए किया जाए।

(5) पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में त्रैमासिक आधार पर विशिष्ट दिवस नियत करते हुए ग्राम सभा/वार्ड सभा का आयोजन किया जाता है, जिनमें ग्राम पंचायत क्षेत्र से सम्बन्धित विकास योजनाओं के प्रारम्भिक प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। प्रवेशोत्सव एवं नामांकन वृद्धि से सम्बन्धित विभिन्न आदेशों में विभागीय स्तर पर संस्था प्रधानों/शिक्षकों को इन सभाओं में अधिकाधिक सहभागिता निभाते हुए स्थानीय समुदाय को विद्यालय संचालन एवं प्रबन्धन से जोड़ने हेतु निर्देश पूर्व प्रदत्त हैं। क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम में पर्यवेक्षण अधिकारी विभिन्न शालाओं के निरीक्षण/अवलोकन के समय विद्यालय स्टाफ/संस्था प्रधान द्वारा उक्त निर्देशों की पालना संबंधी अभिलेख संधारण/वास्तविक स्थिति का परीक्षण आवश्यक रूप से करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख करते हुए संस्था प्रधानों को ग्राम सभा/वार्ड सभा कार्यक्रम के आयोजन बाबत पूर्व जानकारी सम्बन्धित पी.ई.ई.ओ./ग्राम सेवक से प्राप्त करते हुए भविष्य में उक्त सभाओं में सुनिश्चित सहभागिता हेतु पाबन्द करेंगे।

(6) जिला पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण हेतु परिभ्रमण कार्य योजना निम्नांकित निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए निर्मित की जाएगी :-

क्र.सं.	दिनांक	सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही
1.	04.05.17 (गुरुवार)	स्थानीय परीक्षा परिणाम घोषणा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार उक्त दिवस विद्यालयों में विद्यार्थी/अभिभावकगण अपनी/बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों की अवगति हेतु उपस्थित होंगे, अतः प्रातः काल से ही परिभ्रमण कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए अधिकाधिक संस्था में क्षेत्र के समीपवर्ती विद्यालयों में अभिभावकों से विद्यालय परिसर में शिक्षकों/संस्था प्रधानों की मौजूदगी में रूबरू सम्वाद कायम करते हुए विद्यालय की कमियों/विशेषताओं/आवश्यकताओं के सम्बन्ध में खुलकर चर्चा करते हुए प्रोत्साहन प्रदान करें। विद्यालय समय के पश्चात् उक्त क्षेत्र में ही प्रवास करते हुए अधिकाधिक स्थानीय जनसमुदाय से अन्तः क्रिया (Interaction) तथा पारस्परिक वार्तालाप द्वारा स्थानीय विद्यालयों से उनके जुड़ाव सम्बन्धी अवगति प्राप्त करते हुए संस्था प्रधान/स्टाफ को आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करते हुए वांछित सुधारों के सम्बन्ध में अपने सुझाव अवश्य दें। रात्रिविश्राम यथासमय सम्बन्धित क्षेत्र के ग्रामीण वास स्थानों में करें।

2.	05.05.17 (शुक्रवार)	<p>इस कार्यलय के निर्देश पत्र दिनांक: 12.04.2017 में प्रदत्त निर्देशानुरूप उक्त दिवस समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापक-अध्यापक परिषद एवं SDMC की साधारण सभा की संयुक्त बैठक का आयोजन होना है, जिसमें "विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" का भी विधिवत गठन किया जाएगा। माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा संख्या : 193, 194 की पालना में शैक्षिक सत्र: 2017-18 में प्रदेश के 283 राजकीय विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। उल्लेखित संयुक्त बैठक में उक्त 283 विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालय में खोले जाने वाले तीनों ऐच्छिक विषयों का चयन विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की इच्छानुरूप संस्था प्रधान द्वारा करवाये जाने बाबत निर्देश विभागीय स्तर पर प्रदान किये गये हैं। समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी सम्बन्धित जिले में क्रमोन्नत होने वाले विद्यालय का चयन कर उक्त संयुक्त बैठक में पूरे समय उपस्थित रहकर सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त संयुक्त बैठक आयोजन बाबत विभागीय स्तर पर प्रदत्त निर्देश पत्र दिनांक: 12.04.2014 (अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक सम्बन्धी) तथा 17.04.17 ("विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच" के गठन एवं "सखा संगम" कार्यक्रम के आयोजन सम्बन्धी) एवं 19.04.2017 (विचारणीय बिन्दुओं/विषयों के सम्बन्ध में) में प्रदत्त विस्तृत निर्देशों के अनुरूप बैठक कार्यवाही संचालन का अवलोकन करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख करेंगे। उक्त बैठक में विद्यालय में खोले जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में हुए आधिकारिक निर्णय के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अवगति प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। निदेशालय को प्रेषित किए जाने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्बन्धित जिले में क्रमोन्नत समस्त विद्यालयों में चयन किए गए तीनों ऐच्छिक विषयों का उल्लेख आवश्यक रूप से करेंगे।</p>
3	06.05.17 (शनिवार)	<p>जिले में संचालित शारदे बालिका छात्रावासों में से किसी बालिका छात्रावास का निरीक्षण पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त निरीक्षण से पूर्व प्रातः कालीन सत्र में उक्त छात्रावास के कैचमेन्ट एरिया की समस्त विद्यालयों का अवलोकन करते हुए उक्त छात्रावास में आवास करने वाली छात्राओं से विद्यालय में ही सम्वाद किया जाए तथा उनके समक्ष पेश आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों तथा उनके अनुभवों को जानने का प्रयास किया जाए। उक्त बाबत अध्यापको/संस्था प्रधानों के साथ विमर्श/चर्चा करते हुए आस-पास के क्षेत्र में नियमित शिक्षण व्यवस्था से वंचित छात्राओं की संख्या एवं स्थिति तथा नियमित शिक्षण से वंचित छात्राओं की संख्या शून्य तक लाने हेतु व्यावहारिक उपायों एवं सुझावों के सम्बन्ध में शिक्षण स्टाफ/ग्राम वासियों/अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय के साथ खुल कर चर्चा की जाए। विद्यालय समय के उपरान्त शारदे बालिका छात्रावास की आवास, भोजन, स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था तथा उपलब्ध अन्य सुविधाओं का निरीक्षण/प्रत्यक्षीकरण पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा स्वयं छात्रावास में उपस्थित होकर किया जायेगा। छात्रावास की व्यवस्था/कार्मिकों/सुधारों/उपायों के सम्बन्ध में वार्डन/कार्मिकों तथा बालिकाओं से पृथक्-पृथक् चर्चा पश्चात् छात्रावास के बेहतर संचालन हेतु विद्यालय स्टाफ/संस्था प्रधान/वार्डन/स्थानीय समुदाय तथा बालिकाओं के साथ संयुक्त बैठक के विकल्प की आवश्यकता का आकलन करते हुए तदनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाए। शारदे बालिका छात्रावास के सम्बन्ध में अवलोकित/प्रेक्षित तथ्यों एवं आवश्यकताओं के सम्बन्ध में (ADPC), RMSA को अवगत करवाते हुए विस्तृत चर्चा अवश्य की जावे।</p>

(7) फील्ड स्तर पर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के सुचारु आयोजन एवं परिणाम स्वरूप नामांकन लक्ष्य प्राप्ति को सहज-सुगम बनाते हुए निदेशालय स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष : 0151-2544043 है। विद्यालय/जिला/मण्डल कार्यालय स्तर पर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संचालन एवं नामांकन लक्ष्य कार्य योजना के क्रियान्वयन बाबत व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण/जिज्ञासा समाधान एवं मार्गदर्शन हेतु निदेशालय स्थित नियन्त्रण कक्ष में कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। निदेशालय स्तर पर उक्त प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रभारी उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा हैं, जिनके द्वारा सम्पूर्ण राज्य में कार्यक्रम के संचालन की मॉनिटरिंग की जा रही है। समस्त मण्डल मुख्यालयों पर भी उप निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय में पदस्थापित शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी के संयोजन में




प्रवेशोत्सव एवं नामांकन सम्बन्धी मोनिटरिंग हेतु मण्डल स्तरीय नियन्त्रण कक्ष तत्काल स्थापित किया जाए, जिसकी सूचना समस्त अधीनस्थ जिला कार्यालयों एवं निदेशालय को प्रेषित की जाए।

(8) समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी तत्काल सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से यथोचित दूरभाष सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित जिले के क्षेत्र परिभ्रमण से सम्बन्धित कार्य योजना अग्रिम रूप से निर्मित करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दोनों चरणों के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के विस्तृत सम्पर्क में रहते हुए प्रबोधन करेंगे। क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान प्रतिदिन समस्त अवलोकित विद्यालयों / SIQE प्रशिक्षण शिविर के सम्बन्ध में सूचना/विवरण ऑन-लाईन फार्म की पूर्ति लिंक : <https://tinvuri.com/m2c6vpt> पर करते हुए प्रेषित करेंगे।

समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी उपर्युक्तानुसार जिले की नामांकन प्रगति एवं लक्ष्य अर्जन प्रतिशत से निदेशालय के सांख्यिकी अनुभाग को समय-समय पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।


संलग्न :-

- 1 पर्यवेक्षण अधिकारियों की सूची।
- 2 ऑन-लाईन भरे जाने वाले फार्म का प्रारूप।


(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त मण्डल उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।
6. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा को मूल आदेश के अनुरूप प्रवेशोत्सव एवं नामांकन से सम्बन्धित संख्यात्मक सूचना संकलित करने हेतु।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रवेशोत्सव – 2017 (प्रथम चरण)कार्यक्रम हेतु निदेशालय स्तर से नियुक्त
जिला पर्यवेक्षण अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	जिला	नाम जिला प्रभारी	पद व पदस्थापन स्थान
1	बीकानेर	श्रीमती सुनीता चावला	सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2	श्रीगंगानगर	श्री दीपक मूंड	सहायक निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
3	हनुमानगढ़	श्री चन्द्र शेखर हर्ष	सहायक निदेशक, कार्यालय मण्डल उप निदेशक, मा0, बीकानेर
4	चूरु	श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी	सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5	झुझुनूं	श्री आम प्रकाश फगेडिया	सहायक निदेशक, कार्यालय मण्डल उप निदेशक, मा0, चूरु
6	सीकर	श्री राजेन्द्र प्रसाद मील	सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7	जयपुर	श्री मांगे लाल बुडानिया	जि.शि.अ., माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
8	अलवर	श्री नादान सिंह	सहायक निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
9	दौसा	श्री मूलचन्द मीणा	उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
10	जोधपुर	श्री दिलीप कुमार परिहार	प्रभारी, शाला दर्पण, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
11	बाड़मेर	डॉ. मोटाराम भादू	सहायक निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
12	जैसलमेर	डॉ. गोविन्द सिंह	उप निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
13	पाली	श्री प्रकाश चन्द्र जाटोलिया	वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
14	सिरोही	श्री पल्लव मुखर्जी	अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
15	जालोर	श्री दिलीप कुमार कर्मचंदानी	सहायक निदेशक, कार्यालय मण्डल उप निदेशक, मा0, पाली
16	कोटा	श्रीमती अनुसूईया	सहायक निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
17	बूंदी	श्रीमती रश्मि भार्गव	प्रोफेसर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर
18	झालावाड़	श्री अजीत सिंह लुहाडिया	सहायक निदेशक, कार्यालय मण्डल उप निदेशक, मा0, कोटा
19	बारां	श्री किशन लाल देवतवाल	जि.शि.अ., माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
20	उदयपुर	श्री प्रमोद कुमार चमोली	अनु. अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
21	राजसमन्द	श्रीमती शिखा सोनी	सहायक निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
22	बांसवाड़ा	श्रीमती गिरिजा वैष्णव	प्रोफेसर, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर
23	डूंगरपुर	श्री रमेश रंगा	सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
24	चित्तौड़गढ़	श्री सुरेन्द्र राव	सहायक निदेशक, कार्यालय मण्डल उप निदेशक, मा0, उदयपुर
25	प्रतापगढ़	श्री महेन्द्र गर्ग	सहायक निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
26	अजमेर	श्री इजहार अहमद खान	जि.शि.अ., माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
27	भीलवाड़ा	डॉ. विजय लाल बैरवा	सहायक निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
28	नागौर	श्री सुभाष महलावत	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
29	टोंक	श्री भवानी शंकर हर्ष	सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
30	भरतपुर	श्री आजाद कुमार प्रजापत	प्रबोधन अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
31	धौलपुर	श्री योगेश उपाध्याय	सहायक निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर
32	करौली	श्री दुली चन्द स्वामी	सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
33	सवाई माधोपुर	श्री जयप्रकाश भारद्वाज	प्रबोधन अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


(बी0एल0स्वर्णकार)

आई0ए0एस0

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

